के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाकर प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। पैतृक भूमि के सबूत के लिए इन्तकाल की प्रमाणित प्रति पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 4 के अनुसार अपास में राजीनामा हो गया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 1 टीएल डबल्यू ए के खाता सं0 71/52 में अंकित कुल 4.554 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 की 2.277 है0 भूमि में से वादी प्रदीपसिह को 1.012 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 1 टीएल डबल्यू ए के खाता सं0 71/52 में प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादीसं0 1 का 1.265 है0 बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-7-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–221/2018

1. प्रदीपसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. जोगेन्द्रसिह पुत्र चरणसिह जाति कम्बोजसिख
2. सुखविन्द्रकौर पुत्री जोगेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख
3. निन्दर कौर पत्नी जोगेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख

निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता वादी
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 15-07-2019

वादी चरणसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वाके चकनं0 1 टी.एल.डबल्यू ए खाता सं0 71/52 के प0न0 241/290 मु0 5 किलानं0 8 ता 17, 18, 19,20,21,22,23,24, प0न0 242/290 मु0 6 किलानं0 1 कुल 4.554 है0 कृषि भूमि मय गै0मु0 आबादी व गै0मु0 कुआं दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें मुझ वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 जोगेन्दसिह के नाम 1/2 हिस्सा यानि 2.277 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे पारिवारिक समझौता अर्सा कदीम पूर्व हो गयाथा व पारिवारिक समझौता में प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था। प्रतिवादीसं0 1 द्वारा मुझ वादी को चकनं0 1 टी.एल.डबल्यू ए खाता सं0 71/52 में अंकित कुल 4.554 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 की 2.277 है0 में से 1.012 है0 कृषि भूमि वादी को दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे वादी को बटवारा में प्राप्त भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से तथा उक्त भूमि प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादी वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाकर प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राठीखेड़ा कैम्प में रखी गई जिसमें प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। प्रतिवादीसं0 1 द्वारा वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि वादी को बटवारां कर दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। हमारा आपस में कोई विवाद नही है। इसलिए वादपत्र कीदफा 4 के अनुसार भूमि वादी

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–221/2018

1. प्रदीपसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1. जोगेन्द्रसिह पुत्र चरणसिह जाति कम्बोजसिख
2. सुखविन्द्रकौर पुत्री जोगेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख
3. निन्दर कौर पत्नी जोगेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख

निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण एडवोकेट प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 1 टीएल डबल्यू ए के खाता सं0 71/52 में अंकित कुल 4.554 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 की 2.277 है0 भूमि में से वादी प्रदीपसिह को 1.012 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 1 टीएल डबल्यू ए के खाता सं0 71/52 में प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा 1.265 है0 हिस्सा प्रतिवादीसं0 1 का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत्.........निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयांबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15-7-19 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner